न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारीः— जय कौशिक आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः— 582/2025
वादपत्र अन्तर्गत धारा :— 88 आरटीए

बृजलाल पुत्र श्री हजारी जाति जाट निवासी किकरवाली तह.संगरिया जिला हनुमानगढ़
— वादी

बनाम्

1. ओमप्रकाश पुत्र श्री हजारी जाति जाट नि.किकरवाली तह.संगरिया जिला हनुमानगढ
2. चन्दूराम पुत्र श्री हजारी जाति जाट निवासी किकरवाली तह.संगरिया जिला हनुमानगढ
3. मदनलाल पुत्र श्री हजारी जाति जाट निवासी किकरवाली तह.संगरिया
4. हेतराम पुत्र श्री हजारी जाति जाट निवासी किकरवाली तहसील संगरिया
5. शारदा देवी पुत्री श्री हजारी जाति जाट निवासी किकरवाली तहसील संगरिया
6. सरस्वती देवी पुत्री श्री हजारी जाति जाट निवासी किकरवाली तहसील संगरिया
7. महांवीर प्रसाद पुत्र स्व. श्रीमती गोमती पुत्री स्व. श्री हजारी जाति जाट निवासी किंकरवाली तहसील संगरिया
8. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

उपस्थित :— प्रतिवादीगण

1. श्री महावीर बैरड—वकील वादी
   श्री कुलदीप मूण्ढ़—वकील प्रति.सं. 1 ता 7

निर्णय

दिनांक :— 23.12.2025

अधिवक्ता वादी द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया जिसके तथ्य निम्नानुसार है कि प्रतिवादी सं. 1 ता 4 वादी के भाई, प्रतिवादी सं. 5 व 6 वादी की बहिने एवं प्रतिवादी सं. 7 वादी का भानजा है जो कि एक ही संयुक्त परिवार के सदस्य है। वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 7 के नाम से तहसील संगरिया के चक 4 एम.जे.डी. के खाता सं. 109/116 जमाबन्दी सम्वत् 2070—73 में 0.379 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त चक के खाता की जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतिलिपि सलंग्न वाद पत्र है। वाद पत्र की चरण सं. 2 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 7 की संयुक्त खाता की संयुक्त विरासतन कृषि भूमि हैं जिसमें वादी का जन्म से हित एवं स्वत्व निहित है परन्तु उक्त समस्त कृषि भूमि वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड में बंटवारानुसार दर्ज नही होने के कारण तथा प्रतिवादी सं. 1 ता 7 के अन्य लोगों के प्रभाव में होने व उक्त भूमि की आय का अपने निजी व्यसनों पर खर्च करने के कारण वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 7 के मध्य विवाद हो गया व आपस में कटुता पैदा हो गई इस पर रिष्तेदारों आदि ने जरिये पंचायत वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 7 के मध्य राजीनामा व बंटवारा करवा दिया। जिसमें प्रतिवादी सं. 1 ता 7 ने अपने हक व हिस्सा की कृषि भूमि परित्याग वादी के पक्ष में बंटवारा अनुसार कर दिया। प्रतिवादी सं. 1 ता 7 का उक्त कृषि भूमि में कोई हक व हिस्सा षेष नही रहा है। वादी को बंटवारा में प्राप्त कृषि भूमि का विभाजन निम्न प्रकार से हैः— वादी बृजलाल पुत्र श्री हजारी जाति जाट निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

के हक़ हिस्सा व कब्जाकाष्त की कृषि भूमि :– तहसील संगरिया के चक 4 एम.जे.डी. के खाता सं. 109/116 जमाबन्दी सम्वत् 2070–73 में 0.379 है. कृषि भूमि वाद पत्र की चरण सं. 2 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 7 की संयुक्त खाता की संयुक्त कृषि भूमि हैं जिसमें वादी का जन्म से हित एवं स्वत्व निहित है। वाद पत्र की चरण सं. 3 के अनुसार वादी खातेदार काष्तकार होने की घोषणा करवाने का अधिकारी एवं दावेदार है। वाद पत्र की चरण सं. 2 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 7 की संयुक्त खाता की संयुक्त कृषि भूमि हैं जिसमें वादी का जन्म से हित एवं स्वत्व निहित है। वादी ने वाद पत्र की चरण सं. 3 के अनुसार वादी खातेदार काष्तकार होने की घोषणा करवाने हेतु कहा तो कुछ दिन तक तो प्रतिवादी सं. 1 ता 7 टाल मटोल करते रहे; आखिर गत् सप्ताह ऐसा करने से कतई इन्कार हो गये। बस यही वाद कारण है। प्रतिवादी सं. 1 ता 7 के नाम से कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने के कारण तथा प्रतिवादी सं. 8 को भू–धारक होने के कारण पक्षकार बनाया गया है। वाद पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है जो उचित न्याय शुल्क पर अन्दर मियाद प्रस्तुत है।

अतः वाद वादी प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे कि घोषणा इस आषय की फरमाई जावे कि मुताबिक बंटवारा वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 7 के नाम से तहसील संगरिया के चक 4 एम.जे.डी. के खाता सं. 109/116 जमाबन्दी सम्वत् 2070–73 में 0.379 है. कृषि भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1 ता 7 का नाम कलमजन किया जावे।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गई। वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 ने जरिये अधिवक्ता जवाबदावा पेश कर वाद को स्वीकार किया जो शामिल पत्रावली किया। प्रतिवादी संख्या 8 स्टेट की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत हुआ जिसे शामिल मिसल किया गया। साक्ष्य वादी में वादी बृजलाल ने अपना शपथ पत्र अ. आ.18 नियम 4 सीपीसी पेश कर साक्ष्य के साथ फार्म नम्बर 3 में वर्णित अनुसार विरास्तन साक्ष्य में चक 4 एमजेडी खाता संख्या 109/116 जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 की प्रति पेश की गई। जो शामिल पत्रावली है। वकील वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 ओर साक्ष्य पेश नहीं करना चाहते है इसलिए साक्ष्यवादी एवं प्रतिवादी बन्द किये गये।

बहस उभय पक्ष विद्वान अधिवक्तागण सुनी गई। बहस में वकील वादी ने कथन किया कि चक 4 एमजेडी खाता संख्या 109/116 जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 में वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के नाम दर्ज कृषि भूमि है जो हमारी जद्दी जायदाद है। बहस में यह भी कथन किया कि वादी के वाद का प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 ने कोई विरोध नहीं किया इस आधार पर वादपत्र को स्वीकार किया जावे है। पैतृक सम्पति साबित करने हेतु बतौर साक्ष्य में वकील वादी ने चक 4 एमजेडी खाता संख्या 109/116

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 जमाबन्दी की प्रति पेश की गई है जिसके आधार पर वादपत्र में वर्णित आराजी पैतृक सम्पति होना साबित होने से वादपत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 एक ही परिवार के सदस्य है। वादग्रस्त आराजी वाद पत्र के वर्णितानुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के नाम चक 4 एमजेडी खाता संख्या 109/116 जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 में आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 ने जरिये अधिवक्ता सहमति का जवाबदावा पेश कर वाद को स्वीकार किया है। दस्तावेजी साक्ष्यों से वाद वादी साबित है। पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नहीं है। इसलिए प्रकरण में तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। वाद वादी मुताबिक सहमति के जवाब दावा व पैतृक सम्पति के साक्ष्य के आधार पर काबिल स्वीकार होने से स्वीकृत किया जाना उचित प्रतीत होता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी मुताबिक सहमति जवाब दावा के आधार पर निम्नानुसार डिक्री दिया जाता है कि :– चक 4 एमजेडी खाता संख्या 109/116 जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 मे प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के नाम दर्ज कृषि भूमि का वादी बृजलाल पुत्र हजारी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 का नाम कलमंजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। पर्चा डिक्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 23.12.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय कौशिक)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रिया संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,संगरिया
पीठासीन अधिकारीः– जय कौशिक आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः– 582/2025

बृजलाल पुत्र श्री हजारी जाति जाट निवासी किकरवाली तह.संगरिया जिला हनुमानगढ

– वादी

बनाम्

1. ओमप्रकाश पुत्र श्री हजारी जाति जाट नि.किकरवाली तह.संगरिया जिला हनुमानगढ
2. चन्दूराम पुत्र श्री हजारी जाति जाट निवासी किकरवाली तह.संगरिया जिला हनुमानगढ
3. मदनलाल पुत्र श्री हजारी जाति जाट निवासी किकरवाली तह.संगरिया
4. हेतराम पुत्र श्री हजारी जाति जाट निवासी किकरवाली तहसील संगरिया
5. शारदा देवी पुत्री श्री हजारी जाति जाट निवासी किकरवाली तहसील संगरिया
6. सरस्वती देवी पुत्री श्री हजारी जाति जाट निवासी किकरवाली तहसील संगरिया
7. महावीर प्रसाद पुत्र स्व. श्रीमती गोमती पुत्री स्व. श्री हजारी जाति जाट निवासी किकरवाली तहसील संगरिया
8. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकद्मा आज मुझ जय कौशिक आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री महावीर बैरड़ वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री कुलदीप मूण्ढ़ वकील प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि चक 4 एमजेडी खाता संख्या 109/116 जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 मे प्रतिंवादी संख्या 1 ता 7 के नाम दर्ज कृषि भूमि का वादी बृजलाल पुत्र हजारी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। तथा उक्त निर्णय बाबत यंदि किसी न्यायालय में स्थगन आदेश आदि नही है तो राजस्व रिकार्ड में इसका अंकन किया जावे।

नोटः– प्रश्नगत भूमि बैक रहन मुक्त होने के पश्चात् ही उक्तानुसार अमल दरामद किया जावे।

निज X नल X मुब्लिक X निल X बाबत् X निल X खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक X अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 23.12.2025 को जारी किया गया।

(जय कौशिक)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया